दिनाँक 30 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न हुयी पथकर सलाहकार समिति की 33वीं बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 16 पर बिन्दु संख्या 39 के क्रम में ताजमहल में पर्यटकों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए शिल्पग्राम एवं पश्चिमी गेट पार्किंग पर वर्तमान में उपलब्ध गोल्फ कॉर्ट की संख्या कम होने एवं शनिवार एवं रविवार व अवकाश दिवसों पर पर्यटकों की संख्या के दृष्टिगत गोल्फ कॉर्ट की संख्या कम पड़ने के दृष्टिगत पर्यटकों के सुविधार्थ दोनों ही पार्किंग स्थल पर गोल्फ कॉर्ट की संख्या को बढ़ाया जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में ताजमहल पर संचालित लो–फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) के संचालन का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके दृष्टिगत वर्तमान में संचालित वाहनों के फेरे एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

ताजमहल पर संचालित गोल्फ कॉर्ट्स का विवरण

ताजमहल पूर्वी गेट

क्र0सं0	गोल्फ कॉर्ट संख्या	समय	सीटर	कि0मी0	एक दिन में लगाये गये अनुमानित चक्कर (आना–जाना)
1	30 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	25	10
2	40 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	37	16
3	38 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	30	12
4	25 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	25	10
5	15 (2012)	प्रातः 07:30 बजे	11	30	12
6	42 (2019)	प्रातः 07:30 बजे	13	30	12
7	26 (2019)	प्रातः 08:30 बजे	13	35	14
8	3 (2008)	प्रातः 08:30 बजे	13	25	10
9	34 (2019)	प्रातः 09:00 बजे	13	35	14
10	28 (2019)	प्रातः 09:00 बजे	13	40	18
11	32 (2019)	प्रातः 10:00 बजे	13	50	22
12	39 (2019)	प्रातः 10:00 बजे	13	25	10
13	31 (2019)	प्रातः 10:00 बजे	13	35	14
14	33 (2019)	प्रातः 11:00 बजे	13	25	10
15	29 (2019)	प्रातः 11:00 बजे	13	35	14
16	41 (2019)	प्रातः 11:00 बजे	13	30	12
17	35 (2019)	प्रातः 11:00 बजे	13	25	10
18	27 (2019)	प्रातः 11:00 बजे	13	35	14
19	7 (2008)	प्रातः 11:00 बजे	13	25	10
20	43 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	30	12
				627	**256**
ताजमहल पश्चिमी गेट					
क्र0सं0	**गोल्फ कॉर्ट संख्या**	**समय**	**सीटर**	**कि0मी0**	**एक दिन में लगाये गये अनुमानित चक्कर (आना–जाना)**
1	2 (2008)	––	11	0	0
2	44 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	30	12
3	13 (2012)	प्रातः 05:30 बजे	11	35	14
4	36 (2019)	प्रातः 05:30 बजे	13	25	10
5	37 (2019)	प्रातः 08:30 बजे	13	40	18
6	4 (2008)	प्रातः 08:30 बजे	13	25	10
7	16 (2012)	प्रातः 09:00 बजे	11	25	10

8	12 (2008)	प्रातः 09:00 बजे	13	25	10
9	1 (2008)	प्रातः 10:00 बजे	13	20	8
10	5 (2008)	प्रातः 10:00 बजे	13	20	8
11	6 (2008)	प्रातः 11:00 बजे	13	25	10
12	8 (2008)	प्रातः 11:00 बजे	13	15	6
13	9 (2008)	प्रातः 11:00 बजे	11	30	12
14	10 (2008)	प्रातः 11:00 बजे	13	25	10
15	11 (2008)	प्रातः 11:00 बजे	13	25	10
16	14 (2012)	प्रातः 11:00 बजे	11	35	14
17	20 (2012)	प्रातः 11:00 बजे	11	25	10
18	21 (2012)	प्रातः 11:00 बजे	11	30	12
19	22 (2012)	प्रातः 11:00 बजे	11	35	14
20	23 (2012)	प्रातः 11:00 बजे	11	30	12
				520	**210**

पूर्वी एवं पश्चिमी गेट के कुल चक्कर= 466 से औसत 10 पर्यटक एक गोल्फ कॉर्ट में दोनों तरफ का रुपया 40/– की दर से रुपया 1,86,400/– की आय होगी।

पूर्वी एवं पश्चिमी गेट से प्राप्त कुल आय रुपया 1,86,400/– में से 30 प्रतिशत वी0आई0पी0 एवं 10 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों को कम करते हुए रुपया 1,11,840/– की आय होगी।

अनुमानित प्रतिदिन व्यय– स्टॉफ– 30,000/– (60 X दर रुपया 15,000/– ÷30), विद्युत बिल– 7,000/– (मासिक रुपया 2,25,000/– ÷30= रुपया 7,500/–) तथा अनुरक्षण– 40,000/– कुल व्यय 77,000/–

नोटः–	
1	प्राधिकरण द्वारा 12 बैटरी बसों का भी संचालन कराया जाता था, जो कि निष्प्रयोज्य हो चुकी हैं तथा नीलामी की कार्यवाही हेतु गतिमान है। इसके अतिरिक्त 04 गोल्फ कॉर्ट भी निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु आर0टी0ओ0 विभाग से पत्राचार किया जा रहा है।
2	सूर्यादय से एक घण्टा पूर्व बुकिंग खुलने पर मात्र एक तरफ का ही चक्कर गोल्फ कॉर्ट का भरकर लगता है तथा दूसरी तरफ से पिकअप प्वाइन्ट पर खाली गोल्फ कॉर्ट का संचालन होता है। इसी प्रकार सूर्यास्त पर स्मारक बन्द होने पर स्मारक से एक ही चक्कर गोल्फ कॉर्ट का भरकर लगता है।
3	संचालित करायी जा रही गोल्फ कॉर्ट में 10 प्रतिशत विदेशी पर्यटक निःशुल्क, 30 प्रतिशत वी0आई0पी0 निःशुल्क तथा 50 प्रतिशत भारतीय पर्यटक शुल्क के आधार पर यात्रा करता है।
4	उक्त गोल्फ कॉर्ट को भरन में 5 से 10 मिनट का समय लगता है।
5	गोल्फ कॉर्ट की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण पर्यटकों की काफी भीड़ एकत्र हो जाती है।
6	पर्यटकों को गोल्फ कॉर्ट की उचित सुविधा प्रदान करने के दृष्टिग गोल्फ कॉर्ट की संख्या बढ़ाया जाना अनिवार्य है। इससे प्राधिकरण को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी तथा गोल्फ कॉर्ट की व्यवहारिकता भी अधिक उपयोगी होगी।
7	संचालित करायी जा रही गोल्फ कॉर्ट में प्रतिदिन औसतन 4000 से 5000 भारतीय/विदेशी पर्यटक ही यात्रा कर पाता है। अवकाश एवं वीकएण्ड में अत्यधिक सैलानियों के आगमन पर गोल्फ कॉर्ट पर्याप्त नहीं हो पाती हैं। गोल्फ कॉर्ट की पर्याप्त मात्रा के संचालित होने की स्थिति में पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी एवं प्राधिकरण को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

अवगत कराना है कि ताजमहल पर प्राधिकरण द्वारा संचालित लो–फ्लोर शटल्स (गोल्फ कॉर्ट) का संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रतिमाह प्राधिकरण कोष में रुपया 3,48,337/– जमा कराया जाता है। समिति द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में निम्न प्रकार पर्यटक परिवहन प्रस्तावित हैः–

01. ताजमहल पर वर्तमान में पर्यटकों की संख्या 28000 से 30000 प्रतिदिन औसतन 25000, जिसमें से लगभग 40 गोल्फ कॉर्ट का ही उपयोग करेंगे। 14 सीटर 39 गोल्फ कॉर्ट में औसतन 466 चक्कर प्रतिदिन लगाने की क्षमता है और दिन में अलग–अलग समय के औसतन 08–10 पर्यटक को आवागमन की सुविधा मिलती है। उक्त आधार पर गोल्फ कॉर्ट में 4660 पर्यटक प्रतिदिन के आधार पर 10000 पर्यटक हेतु 66 गोल्फ कॉर्ट का औसतन होता है।

02. वर्ष 2008 में क्रय की गयीं 12 गोल्फ कॉर्ट एवं वर्ष 2012 में क्रय की गयीं 08 गोल्फ कॉर्ट का रख–रखाव एवं संचालन उनके निष्प्रयोज्य घोषित होने तक आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा करना होगा। वर्ष 2019 में क्रय की गयीं गोल्फ कॉर्ट 08 वर्ष के संचालन के उपरान्त इस शर्ता पर ही वापिस करनी होंगी, कि वाहनों में लगी बैटरी 02 वर्ष से पुरानी नहीं होंगी तथा सभी वाहन संचालन अवस्था में फिट होंगे।

03. प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना को देखते हुए 05–05 गोल्फ कॉर्ट क्रय करने का प्राविधान प्रस्तावित है।

ताजमहल पर पर्यटकों की सुविधा हेतु 65+5+2=72 नयी गोल्फ कॉर्ट हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा संचालित कराने हेतु निम्नवत् प्राविधान किये जा सकते हैः–

01	वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा 12 गोल्फ कॉर्ट वर्ष 2008 मॉडल, 08 गोल्फ कॉर्ट वर्ष 2012 मॉडल तथा 20 गोल्फ कॉर्ट वर्ष 2019 मॉडल कुल 40 गोल्फ कॉर्ट का संचालन कराया जा रहा है। आउटसोर्स एजेन्सी को 14 सीटर 72 गाड़ियॉं क्रय करनी होंगी, जिसमें से 32 गाड़ियॉं (25 ताजमहल+05 आगरा चौपाटी+02 ताज व्यू प्वाइन्ट) अनुबन्ध की औपचारिकता पूर्ण होने एवं कार्य प्रारम्भ करने के दो माह में क्रय करनी होंगी तथा पहले/दूसरे/तीसरे वर्ष में 5–5 चौथे वर्ष में 10 तथा पॉंचवे/छठवें/सातवें वर्ष में 5–5 क्रय करनी होंगी तथा आठवें वर्ष में कोई भी गाड़ी क्रय नहीं की जायेगी। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण की 40 गोल्फ कॉर्ट का भी संचालन करना होगा। प्राधिकरण की पुरानी गोल्फ कॉर्ट संचालन की अवस्था न होने की स्थिति में प्राधिकरण को सूचित किया जायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा निष्प्रयोज्य करते हुए नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।
02	गोल्फ कॉर्ट चार्जिंग स्टेशन का रख–रखाव एवं विद्युत बिल आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा देय होगा। क्रय की जाने वाली गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन प्राधिकरण के यॉर्ड में ही आउटसोर्स एजेन्सी को अपने व्यय पर स्थापित करने होंगे।
03	वर्तमान में गोल्फ कॉर्ट का टिकट रुपया 20/– प्रति व्यक्ति एक तरफ का निर्धारित है। यह किराया इस सुविधा के प्रारम्भ होने पर, दो वर्ष तक यथावत् प्रत्येक 02 वर्षों में आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति से रुपया 5/– की वृद्धि की जायेगी।
04	आउटसोर्स एजेन्सी को किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रम में गोल्फ कॉर्ट/बस इत्यादि को आउटसोर्स पर कम से कम 01 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालित करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
05	इस कान्ट्रैक्ट की समयावधि 08 वर्ष की होगी, जिसके अन्तर्गत 08 वर्षों का अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।
06	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा आपूर्तित की जाने वाली गोल्फ कॉर्ट्स पर आगरा विकास प्राधिकरण का लोगो तथा पर्यटक सूचना दर आदि अन्य विवरण लगाया जायेगा तथा आगरा विकास प्राधिकरण का नाम आउटसोर्स एजेन्सी को लिखना होगा तथा गोल्फ कॉर्ट्स पर किसी प्रकार का अन्य विज्ञापन लगाने से पूर्व विभाग से लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। गोल्फ कॉर्ट में कार्पेट/सीट कवर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
07	प्रत्येक वर्ष गाड़ी + चार्जिंग स्टेशन की फिटनेस रिपोर्ट आर0टी0ओ0 + आ0वि0प्रा0 से प्राप्त कर ही संचालन अनुमन्य होगा।
08	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर सम्पूर्ण ऑनलाईन टिकट प्रणाली एवं ऑफलाईन प्रणाली लागू की जायेगी तथा दोनों प्रणालियों का विवरण प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।
09	गोल्फ कॉर्ट्स का संचालन शिल्पग्राम से ताजमहल पूर्वी गेट, ताजमहल पश्चिमी गेट पार्किंग से नीम तिराहा तथा नीम तिराहा से पुरानी मण्डी तक कराना होगा, साथ ही लोकेशन के साइन बोर्ड स्थापित कराने होंगे

	तथा स्थायी पिकअप एवं ड्रॉपपोइन्ट का विकास 04 माह के अन्दर प्राधिकरण से डिजायन अनुमोदित कराकर तथा सम्बन्धित विभाग की एन0ओ0सी0 लेकर करना होगा।
10	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा 05 अतिरिक्त गोल्फ कॉर्ट का संचालन प्रतिदिन शिल्पग्राम से आई लव आगरा होते हुए आगरा चौपाटी तक 30 अनिवार्य चक्करों में करना होगा, अन्यथा अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, जो आउटसोर्स एजेन्सी को मान्य होगा। चक्करों की संख्या में परिवर्तन आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। आगरा चौपाटी पर गोल्फ कॉर्ट संचालित करने हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा रुपया 20/- (एक तरफ से) रियायती दरों पर वसूल किया जायेगा तथा प्रत्येक 02 वर्षों में आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति उपरान्त रुपया 5/- की वृद्धि की जायेगी।
11	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा 02 अतिरिक्त गोल्फ कॉर्ट का संचालन ताज व्यू प्वाइन्ट पर सभी दिनों पर अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसका समय अपरान्ह 12:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक होगा। शुक्रवार को दो अतिरिक्त गोल्फ कॉर्ट प्रातः सूर्योदय से रात्रि 09:00 बजे तक संचालित होंगी। ताज व्यू प्वाइन्ट पर गोल्फ कॉर्ट संचालित करने हेतु आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा रुपया 10/- (एक तरफ से) वसूल किया जायेगा तथा प्रत्येक 02 वर्षों में आगरा विकास प्राधिकरण की अनुमति उपरान्त रुपया 5/- की वृद्धि की जायेगी।
12	वर्तमान में संचालित एक इलैक्ट्रिक कार टाटा नैक्सोन पंजीकरण संख्या यूपी80जीसी-6698 मॉडल 2022 को वर्तमान आउटसोर्स एजेन्सी से प्राधिकरण द्वारा अपनी सुपुर्दगी में लेने के उपरान्त नयी आउटसोर्स एजेन्सी को हस्तगत किया जायेगा। उक्त इलैक्ट्रिक कार का संचालन वी0आई0पी0/वी0वी0आई0पी0 के आगमन पर भी किया जा सकेगा। उक्त के समस्त रख-रखाव, टैक्स, बीमा, फिटनेस आदि के व्यय को आउटसोर्स एजेन्सी को वहन करना होगा। इस गाड़ी को रुपया 50/- प्रति पर्यटक के अनुसार संचालन की भी स्वतन्त्रता होगी।
13	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के उपरान्त तत्समय प्राधिकरण की संचालित गोल्फ कॉर्ट एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की गयीं 65+5+2=72 गोल्फ कॉर्ट, वर्तमान में चल रहीं 40 गोल्फ कॉर्ट में जो निष्प्रयोज्य नहीं हुयी एवं इलैक्ट्रिक कार को प्राधिकरण को सुपुर्द किया जायेगा, जिसमें आउटसोर्स एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
14	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा आवश्यकता के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त गोल्फ कॉर्ट क्रय करनी होंगी, जो कि आउटसोर्स एजेन्सी को मान्य होगा।
15	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा दो शिकायत पुस्तिकायें रखनी होंगी, जिसमें फर्म के प्रतिनिधि एवं आगरा विकास प्राधिकरण के नामित अधिकारी का मोबाइल नम्बर ऑनलाईन सिस्टम की भाँति दर्ज होगा।
16	आठ वर्षों के उपरोक्तानुसार संचालन के लिए प्राधिकरण को देय लाइसेंस फीस के आधार पर ई-निविदा/सह नीलामी आमंत्रित की जायेंगी।
17	आउटसोर्स एजेन्सी के पास स्वंय का गैराज, जिसमें वाहनों का अनुरक्षण हो सके, होना आवश्यक होगा।
18	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने जिले के जिलाधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र, जो कि रुपया 3.00 करोड़ या अधिक का हो तथा निविदा तिथि से तीन माह पुराना हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा निविदा के साथ निविदा मूल्य रुपया 25,000/- (मय जी0एस0टी0) तथा धरोहर धनराशि रुपया 75.00 लाख का भुगतान ऑनलाईन पेमेन्ट लिंक https://inducollect.indusind.com/pay/index.php के माध्यम से जमा करना होगा, जिसकी प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अपलोड नहीं किये जाने पर सम्बन्धित बोलीदाता/निविदादाता की बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि की वापसी प्राधिकरण द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त की जायेगी। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा धरोहर धनराशि की तत्काल वापसी हेतु कोई भी दबाव नहीं डाला जायेगा।
20	सफल आउटसोर्स एजेन्सी रुपया 3.00 करोड़ की बैंक गारण्टी जमानत के रूप में जमा करनी होगी, जो नियमानुसार 9 वर्ष के लिए उपलब्ध करानी होगी।
21	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपनी एजेन्सी की नेटवर्थ, जो कि रुपया 25.00 करोड़ की वार्षिक हो, की सी0ए0

	द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा विगत तीन वर्षों का आई0टी0आर0 न्यूनतम धनराशि का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22	अन्य समस्त करों की देयता ऑपरेटर की होगी। उनके अनुरक्षण का समस्त दायित्व भी आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
23	आठ वर्ष उपरान्त तत्समय प्राधिकरण की संचालित गोल्फ कॉर्ट एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की गयी 72 गोल्फ कॉर्ट में लगी सभी बैटरी दो वर्ष से पुरानी नहीं होंगी तथा आर0टी0ओ0 एवं आगरा विकास प्राधिकरण के संयुक्त फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर हस्तगत की जायेंगी।
24	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा समस्त गोल्फ कॉर्ट्स का अनुरक्षण, मरम्मत, टायर–ट्यूब, बैटरी सैट इत्यादि कार्य करना होगा तथा सभी वाहनों को उत्तम दशा में क्रियाशील व स्वच्छ रखा जायेगा।
25	वाहनों के संचालन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी एवं व्यय सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी को वहन करना होगा। प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।
26	समस्त वाहनों के संचालन के समय पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार के नुकसान/टूट–फूट की प्रतिपूर्ति आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा की जायेगी।
27	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्रतिदिन वाहनों को पार्किंग स्थल तक पहुँचाना, वाहनों की सुरक्षा, पार्किंग स्थल की सफाई स्वंय अपने व्यय पर करानी होगी तथा चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकतानुसार रंगाई–पुताई भी अपने व्यय पर करानी होगी एवं आवश्यकतानुसार चार्जिंग प्वाइन्ट स्थापित कराने होंगे।
28	सभी अपेक्षित विभागों यथा आयकर, श्रम विभाग, पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 इत्यादि विभागों में पंजीकरण, देय करों व शुल्कों का दायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
29	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा वी0आई0पी0 भ्रमण, वी0वी0आई0पी0 भ्रमण, डेलीगेशन, हैड ऑफ गर्वनमेन्ट/हैड ऑफ स्टेट, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव/अनुभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार माँगे जाने पर वाहन तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे तथा उक्त भ्रमण के दौरान वाहनों पर साफ/धुले सीट कवर लगवाने होंगे।
30	समस्त वाहनों के संचालन से प्राप्त होने वाली आय आउटसोर्स एजेन्सी की होगी, जिसमें से अनुबन्ध के अनुसार लाईसेंस फीस का भुगतान करना होगा।
31	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा ताजमहल के प्रतिबन्धित क्षेत्र के दृष्टिगत मा0 न्यायालयों/शासन/प्रशासन/आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पारित समस्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अनुपालन सुनिश्चित न करने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी की होगी।
32	शर्तों का उल्लंघन करने पर रुपया 5,000/– का अर्थदण्ड अरोपित किया जायेगा तथा पुनरावृत्ति होने पर रुपया 10,000/– से रुपया 1,00,000/– का अर्थदण्ड प्रति गलती पर आरोपित किया जायेगा, जो आउटसोर्स एजेन्सी को मान्य होगा। अर्थदण्ड जमा न करने पर जमानत धनराशि को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
33	सफल आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पत्र जारी करने के सात दिवस में स्टॉम्प विभाग के नियमों के अनुसार स्टॉम्प जमा कर प्राधिकरण से अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा। अनुबन्ध निष्पादित कराने में विलम्ब करने की स्थिति में ऑपरेटर द्वारा निविदा के समय जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
34	किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर समस्त प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति आदि का दायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होगा।
35	कर्मचारियों का आचरण एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने की दशा में बिना किसी सूचना के कार्य से हटाने का अधिकार प्राधिकरण में सुरक्षित रहेगा।
36	कर्मचारियों के कार्य का समय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बताये गये निर्देशानुसार निर्धारित किया जायेगा। कर्मचारी सभी प्राधिकरण से अनुमोदित वर्दी एवं नेम प्लेट में ही कार्यरत रहेंगे, जिसकी व्यवस्था आउटसोर्स एजेन्सी का दायित्व होगा।
37	कार्य की आवश्यकता/औचित्य के दृष्टिगत अनुबन्ध को किसी भी समय समाप्त किये जाने का अधिकार

	उपाध्यक्ष में निहित होगा।
38	आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं किया जायेगा, जिसका प्राधिकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
39	सम्बन्धित आउटसोर्स एजेन्सी को आपूर्ति किये जाने वाले समस्त स्टाफ का नाम/पता, आधार की फोटोप्रति उपलब्ध करानी होगी तथा स्टॉफ परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तित स्टॉफ की उपरोक्त सूचना प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।
40	सम्बन्धित फर्म को प्रत्येक स्टाफ को राज्य/केन्द्र शासनादेशों के अनुरूप न्यूनतम वेतन/भत्ते देते हुये अन्य निर्धारित श्रम नियमों का अनुपालन करना होगा।
41	किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित है।
42	किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण एक मात्र विचारक होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
43	जी0एस0टी0 या अन्य समस्त देय का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।

उक्त तालिका के क्र0सं0 16 में वर्णित बिन्दु में लाईसेन्स फीस का निर्धारण निम्नवत् प्रस्तावित किया जाता है:–

क्र0सं0	विवरण	अनुमानित आंकलन प्रतिदिन
01	**प्राधिकरण की गोल्फ कॉर्ट एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट क्रय करने पर अनुमानित 90 स्टॉफ पर व्यय**	रुपया 38,000/–
02	**प्राधिकरण की गोल्फ कॉर्ट एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट पर अनुमानित विद्युत बिल**	रुपया 10,000/–
03	**प्राधिकरण की गोल्फ कॉर्ट एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली नयी गोल्फ कॉर्ट पर अनुमानित अनुरक्षण**	रुपया 60,000/–
	कुल व्यय	**रुपया 1,08,000/–**
04	**वर्तमान में संचालित 40 गोल्फ कॉर्ट से लगने वाले 466 चक्कर एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा प्रथम चरण में क्रय की जाने वाली 25 गोल्फ कॉर्ट से 500 चक्कर कुल 966 चक्कर से 10 पर्यटकों के प्रति चक्कर में रुपया 40/– प्रति चक्कर (आने–जाने) से प्राप्त होने वाली आय**	रुपया 3,86,400/–
05	**30 प्रतिशत वी0आई0पी0 तथा 10 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों से प्राप्त न होने वाली आय**	कुल व्यय रुपया 3,86,000/– का 40 प्रतिशत रुपया 2,31,840/– कम करते हुए आय= रुपया 1,54,560/–
	कुल बचत	आय रुपया 1,54,560/– – व्यय रुपया 1,08,000/– = रुपया 46,560/–
06	**कुल बचत के अनुसार प्राधिकरण की गोल्फ कॉर्ट एवं आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली 25 नयी गोल्फ कॉर्ट की लाईसेन्स फीस**	रुपया 46,560/– **X** 25= रुपया 11,64,000/–
07	**आगरा चौपाटी हेतु संचालित करायी जाने वाली 05 गोल्फ कॉर्ट की अनुमानित लाईसेन्स फीस**	रुपया 50,000/–
08	**ताज व्यू प्वाइन्ट हेतु संचालित करायी जाने वाली**	रुपया 25,000/–

	02 गोल्फ कॉर्ट की अनुमानित लाईसेन्स फीस	
09	कुल लाईसेन्स फीस	रुपया 12,39,000/– पूर्णांक में रुपया 12,50,000/–

उक्तानुसार लाईसेन्स फीस रुपया 12,50,000/– में वृद्धि निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	वर्ष	टिकट दर	टिकट दर में वृद्धि	लाईसेन्स फीस में वृद्धि
1	प्रथम व द्वितीय	20.00	—	—
2	तृतीय व चतुर्थ	25.00	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत
3	पंचम व षष्टम	30.00	50 प्रतिशत	30 प्रतिशत
4	सप्तम	35.00	75 प्रतिशत	55 प्रतिशत

नोट– लाईसेन्स फीस के दृष्टिगत टिकट दर में संचालन व्यय के सापेक्ष ही वृद्धि प्रस्तावित की गयी है।

ताजमहल आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटक के परिवहन हेतु प्राधिकरण की 40 गोल्फ कॉर्ट को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाईसेन्स फीस पद्धति पर संचालित कराने तथा आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा 65+5+2=72 नयी गोल्फ कॉर्ट क्रय कर तथा प्राधिकरण की वर्तमान में संचालित 40 गोल्फ कॉर्ट का अनुरक्षण/संचालन कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें प्राधिकरण की गोल्फ कॉर्ट संचालन अवधि पूर्ण कर लेने पर निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम कर दी जायेंगी एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा क्रय की जाने वाली गोल्फ कॉर्ट का संचालन यात्री परिवहन के लिए होता रहेगा।

उपरोक्त प्रस्तावना के क्रम में प्रस्तुत है कि पथकर सलाहकार समिति की 33वीं बैठक दिनाँक 30 दिसम्बर, 2022 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 39 पर निम्न प्रस्ताव **"ताजमहल में पर्यटकों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए शिल्पग्राम एवं पश्चिमी गेट पार्किंग पर वर्तमान में उपलब्ध गोल्फ कॉर्ट की संख्या कम है। शनिवार एवं रविवार व अवकाश दिवसों पर पर्यटकों की संख्या के दृष्टिगत गोल्फ कॉर्ट की संख्या कम पड़ जाती है। अतएव पर्यटकों के सुविधार्थ दोनों ही पार्किंग स्थल पर गोल्फ कॉर्ट की संख्या को बढ़ाया जाना आवश्यक है।",** जिस पर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया जा चुका है "**समिति द्वारा प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**"। तत्क्रम में उपरोक्त विस्तृत प्रस्तावना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, जिसमें तीन सप्ताह की अवधि की ई–निविदा सह नीलामी आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

उपरोक्त के क्रम में निम्न प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–

01. आगामी 07 वर्षों में आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा प्राधिकरण की 40 गोल्फ कॉर्ट तथा 65+5+2=72 नयी गोल्फ कॉर्ट क्रय कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाईसेन्स फीस पद्धति पर संचालित कराया जाना।

02. उपरोक्त गणना के आधार पर लाईसेन्स फीस रुपया 12,50,000/– प्रतिमाह आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाना।

03. उपरोक्त कार्य की ई–निविदा/सह नीलामी के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन आमंत्रित कराया जाना।

तद्नुसार स्वीकृतार्थ एवं ई–निविदा/सह नीलामी की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।